समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

1. प्रयोज्यता का क्षेत्र और पूंजी पर्याप्तता
Scope of Application and Capital Adequacy

तालिका डीएफ-1 : प्रयोज्यता का क्षेत्र
Table DF-1: Scope of Application

लेखांकन और विनियामक समेकन / Accounting and regulatory consolidation

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य से बैंक आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों को एक साथ जोड़ते हुए पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर लेखांकन मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण के अनुसार अपनी सहायक संस्थाओं का समेकन करता है.
For the purpose of financial reporting, the Bank consolidates its subsidiaries in accordance with Accounting Standard 21-Consolidated Financial Statements, on a line-by-line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenditure.

समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है: आईडीबीआई बैंक लि.
Name of the head of the banking group to which the framework applies: IDBI Bank Ltd.

(i) गुणात्मक प्रकटन / Qualitative Disclosures:

क. समेकन के लिए शामिल समूह संस्थाओं की सूची
a. List of group entities considered for consolidation

संस्था का नाम/ निगमन देश Name of the entity / Country of incorporation	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें Explain the method of consolidation	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें Explain the reasons for difference in the method of consolidation	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. / भारत IDBI Asset Management Ltd/India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश **Name of the entity / Country of incorporation**	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें **Explain the reasons for difference in the method of consolidation**	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें **Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation**
आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि./ भारत IDBI MF Trustee Company Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI MF Trustee Company Ltd is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश **Name of the entity / Country of incorporation**	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें **Explain the reasons for difference in the method of consolidation**	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें **Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation**
आईडीबीआई इंटेक लि. / भारत IDBI Intech Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई इंटेक लि. एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Intech Ltd is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

संस्था का नाम/ निगमन देश **Name of the entity / Country of incorporation**	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	क्या संस्था को समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है (हाँ/ नहीं) **Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (yes/no)**	समेकन की पद्धति स्पष्ट करें **Explain the method of consolidation**	समेकन की पद्धति में अंतर स्पष्ट करें **Explain the reasons for difference in the method of consolidation**	यदि समेकन के केवल एक ही क्षेत्र में समेकित किया गया है तो उसके कारण स्पष्ट करें **Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation**
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. / भारत IDBI Trusteeship Services Ltd/ India	हाँ / Yes	पूर्णतः समेकित Fully Consolidated	नहीं / No	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप एक गैर-वित्तीय संस्था है. इसे समूह की समेकित विनियामक पूंजी में से घटाया गया है. IDBI Trusteeship is a non Financial Entity. Deducted from Consolidated Regulatory Capital of the group.

* एनए/ NA - लागू नहीं / * NA – Not Applicable

ख. समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न की गई समूह संस्थाओं की सूची:

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

समूह की ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसे समेकन के लेखांकन व विनियामक, दोनों ही क्षेत्रों के लिए समेकन में शामिल न किया गया हो.

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(ii) संख्यात्मक प्रकटन / Quantitative Disclosures:

ग. विनियामक समेकन में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची
c. List of group entities considered for regulatory consolidation

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

संस्था का नाम/ निगमन देश (जैसा कि ऊपर (i) क. में दर्शाया गया है.) Name of the entity / country of incorporation (as indicated in (i) a. above)	संस्था के मुख्य कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जो विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लि./ भारत IDBI Capital Market Services Ltd/ India	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय उत्पादों का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services, etc.	1,281	3,379
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि./ भारत IDBI Asset Management Ltd/India	आस्तियों का प्रबंधन Manages Assets	2,000	991

(घ) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की समेकित राशि, जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, अर्थात्, जिसे घटाया गया हो:
d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

किसी सहायक संस्था में ऐसी कोई पूंजीगत कमी नहीं है जिसे समेकन के विनियामक क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है.
There is no capital deficiency in any subsidiary, which is not included in the regulatory scope of consolidation.

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के हित की कुल राशि (अर्थात् चालू बही मूल्य) जोकि जोखिम-धारित है:
e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

बीमा कंपनी का नाम/ निगमन देश Name of the insurance entities/ country of incorporation	संस्था के मूल कार्यकलाप Principle activity of the entity	कुल तुलन पत्र इक्विटी (विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में दर्शाए अनुसार) Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का % / वोटिंग अधिकार का अनुपात % of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	जोखिम भारित पद्धति प्रयोग करने बनाम पूर्ण कटौती पद्धति प्रयोग करने का विनियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव Quantitative impact on Regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि./ भारत IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. / India	जीवन बीमा कारोबार Life Insurance business	7,997.28	48%	कटौती दृष्टिकोण के तहत पूंजी आवश्यकता ₹ 2976 मिलियन बढ़ जाएगी The capital requirement would increase by ₹ 2,976 million under Deduction Approach

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

च. बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या रुकावट:
f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

बैंकिंग समूह में निधियों के अंतरण या विनियामक पूंजी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध या रुकावट नहीं है.
There are no restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group.

तालिका डीएफ -2 : पूंजी पर्याप्तता / Table DF-2: Capital Adequacy

बैंक संभावित हानि के जोखिमों के प्रति कुशन के रूप में तथा अपने अंशधारकों, जमाकर्ताओं और लेनदारों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए पूंजी रखता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकता को इसकी कारोबार रणनीति के अनुसार इसकी वार्षिक कारोबार योजना के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है. बैंक की भावी पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में ब्याज दर, विनिमय दर, चलनिधि स्थिति जैसे कई कारकों पर विचार करने के बाद बाजार के रुख की समीक्षा की जाती है. इसके अलावा तुलन पत्र संरचना, पोर्टफोलियो संमिश्र, वृद्धि दर तथा संबंधित भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार किया जाता है. साथ ही सटीक अनुमान दर्शाने के लिए ऋण संरचना और रेटिंग मैट्रिक्स को भी शामिल किया जाता है.
The Bank maintains and manages capital as a cushion against the risk of probable losses and to protect its stakeholders, depositors and creditors. The future capital requirement of the Bank is projected as a part of its annual business plan, in accordance with its business strategy. To calculate the future capital requirements of the Bank a view on the market behavior is taken after considering various factors such as interest rate, exchange rate and liquidity positions. In addition, broad parameters like balance sheet composition, portfolio mix, growth rate and relevant discounting are also considered. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

दिनांक 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने पूंजी अनुपातों की गणना रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कर रहा है.
In line with the Basel III guidelines which are effective since April 01, 2013, the Bank has been calculating its capital ratios as per the extant RBI guidelines.

बासेल III मानदंडों का प्रमुख ध्यान टीयर I पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा पर तथा इस बात पर है कि बैंक की वर्तमान में उपलब्ध पूंजी की मात्रा इन विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करती है. वर्तमान में बैंक विभिन्न् दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से बेहतर कार्य- निष्पादन कर रहा है. 31 मार्च 2015 को बैंक की एकल सीआरएआर की स्थिति निम्नानुसार है:
The main focus of Basel III norms is on the quality and quantity of Tier I capital and these regulatory requirements are currently met with the quantum of capital available with the Bank. At present the Bank is operating well above the minimum requirements as stipulated by the guidelines. The Standalone CRAR position of the Bank as on March 31, 2015 is as below:

सीआरएआर / **CRAR %**	**बासेल III / Basel III**
सीईटी / CET 1 (%)	7.29%
टीयर / Tier 1 (%)	8.18%
कुल / Total (%)	**11.76%**

वर्तमान और भावी जोखिमों की पहचान, मात्रा -निर्धारण और अनुमान लगाने के लिए बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति लागू की है. इस नीति के अंतर्गत ऐसे जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के आकलन तथा उनके नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना और इस प्रकार पूंजी का पर्याप्त स्तर बनाए रखना शामिल है. आईसीएएपी अभ्यास यह सुनिश्चित करने के लिए आवधिक रूप से किया जाता है कि बैंक के पास अपनी कारोबारी आवश्यकताओं के अनुरूप विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूंजी है. बैंक की समेकित दबाव परीक्षण नीति भी है जिसमें विनियामक दबाव स्थितियाँ शामिल हैं जो बैंक की जोखिम रूपरेखा तथा पूंजी की स्थिति पर ऐसे गंभीर किंतु सत्याभासी दबाव परिदृश्य के प्रभाव पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं. दबाव परीक्षण अभ्यास नियमित रूप से किए जाते हैं. यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाब परीक्षण ढांचे पर आधारित हैं जिसमें दबाव परीक्षण पर रिज़र्व बैंक के दिनांक 02 दिसंबर 2013 के दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है. दबाव परिदृश्य के प्रभावों का बैंक की लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता पर विश्लेषण किया जाता है. इस अभ्यास के परिणाम उपयुक्त बोर्ड स्तरीय समिति (यों) को सूचित किए जाते हैं.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

For identification, quantification and estimation of current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing such risks, measuring their impact on the financial position of the Bank and formulating appropriate strategies for their containment & mitigation; thereby maintaining an adequate level of capital. The ICAAP exercise is conducted periodically to determine that the Bank has adequate capital to meet regulatory requirements in line with its business requirements. The Bank also has a comprehensive stress test policy covering regulatory stress conditions to give an insight into the impact of severe but plausible stress scenarios on the Bank's risk profile and capital position. The stress test exercises are carried out regularly based on the board approved stress testing framework incorporating RBI guidelines on Stress testing dated December 02, 2013. The impact of stress scenarios on the profitability and capital adequacy of the Bank are analyzed. The results of the exercise is reported to the suitable board level committee(s).

दिनांक 31 मार्च 2015 को समेकित सीआरएआर स्थिति निम्नानुसार है:
The Consolidated CRAR position, as on March 31, 2015 is as follows:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

पूंजी आवश्यकता / Capital requirement	
ऋण जोखिम पूंजी / Credit Risk Capital:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardized approach	2,22,463.05
प्रतिभूतिकरण / Securitization	167.17
बाजार जोखिम पूंजी / Market Risk Capital:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण /Standardized duration approach	22,706.10
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	12,180.77
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	450.00
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	10,075.33
परिचालन जोखिम पूंजी / Operational Risk Capital:	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	12,129.51
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required	2,57,465.83
(प्रतिशत / Percentage)	
सामान्य इक्विटी टीयर 1, टीयर 1 एवं कुल पूंजी का अनुपात: Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total capital ratio:	
सीईटी 1 / CET 1 (%)	7.36%
टीयर 1 / Tier 1 (%)	8.26%
कुल / Total (%)	**11.86%**

2. जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन / Risk exposure and assessment

तालिका डीएफ-3: ऋण जोखिम: सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन
Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures for All Banks

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा की शर्तों के अनुसार दायित्वों को पूरा न करने अथवा उसकी चूक के कारण उत्पन्न हो सकता है. ऐसी किसी भी घटना का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक को अपने उधार, निवेश तथा संविदागत व्यवस्थाओं के ज़रिए ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम अभिशासन ढांचा बनाया गया है. यह ढांचा जोखिमों के स्वामित्व और प्रबंधन के बारे में भूमिकाओं की स्पष्ट परिभाषा और साथ ही जिम्मेदारियों का निर्धारण प्रस्तुत करता है. रिपोर्टिंग प्रबंध तथा सूचना प्रणाली (एमआईएस) व्यवस्था के बारे में पदानुक्रम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हुए जिम्मेदारी निर्धारण को और मजबूत बनाया गया है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

Credit risk is the risk of loss that may occur due to default of the counterparty or from its failure to meet its obligations as per terms of the financial contract. Any such event will have an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending, investment and contractual arrangements. To counter the effect of credit risks faced by the Bank, a robust risk governance framework has been put in place. The framework provides a clear definition of roles as well as allocation of responsibilities with regard to ownership and management of risks. Allocation of responsibilities is further substantiated by defining clear hierarchy with respect to reporting relationships and Management Information System (MIS) mechanism.

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीतियां / Bank's Credit risk management policies

बैंक ने कार्यविधियों और प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से निरूपित करने के उद्देश्य से विभिन्न जोखिम प्रबंध नीतियां, प्रक्रियाएं तथा मानक तैयार तथा कार्यान्वित किए हैं जो सभी संबंधित कारोबारी समूहों पर आबद्धकर हैं. बैंक की ऋण नीति ऋण एक्सपोजरों के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्ता पूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति कंपनियों, कारोबार समूहों, उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा सेक्टरों में पोर्टफोलियो के विशाखन जैसे सूक्ष्म कारकों पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है.
The Bank has defined and implemented various risk management policies, procedures and standards with an objective to clearly articulate processes and procedural requirements that are binding on all concerned Business groups. The Credit Policy of the Bank is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and sectors. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in light of prevailing business environment and regulatory stipulations.

बैंक की ऋण नीति के अंतर्गत बैंक के खुदरा आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गति की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में वार्षिक समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा, जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है. यह नीति बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है.
The Bank's Credit Policy also details the standards, processes and systems for growing and maintaining its Retail Assets portfolio. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The Credit policy is reviewed annually in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory & market) in which the Bank operates or to change in strategic direction, risk tolerance, etc. The policy is approved by the Board of Directors of the Bank.

ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूहों से संबंधित एक्सपोजर मानदंडों, संवेदनशील क्षेत्र के एक्सपोजरों, उद्योग एक्सपोजर और अप्रतिभूत एक्सपोजर के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किए हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिज़र्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.
To avoid concentration of credit risk, the Bank has put in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, groups, exposure to sensitive sector, industry exposure, unsecured exposures, etc. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital Markets and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में एक्सपोजर से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर विशिष्ट नीति और विभिन्न देशों में एक्सपोजर से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर नीति है.
The Bank has a specific policy on Counter Party Credit Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया / Credit risk assessment process:

ऋण प्रस्तावों की मंजूरी निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन संरचना के अनुसार की जाती है. बैंक द्वारा प्रयुक्त ऋण जोखिम रेटिंग, ऋण प्रस्तावों का मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन है.
The sanction of credit proposals is in accordance with the delegation structure approved by the Board of Directors. Credit risk rating, used by the Bank is one of the key tools for assessing its credit proposals.

बैंक ने बासेल अपेक्षाओं के अनुरूप आंतरिक रेटिंग मॉडल जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (रैम) को कार्यान्वित किया है. यह रेटिंग के लिए एक द्विआयामी मॉड्यूल अर्थात् बाध्यताधारी तथा सुविधा है. उधारकर्ता की श्रेणी और विशेषता के अनुसार विभिन्न रेटिंग मॉडलों के लिए वित्तीय, कारोबार, प्रबंधन तथा उद्योग जैसे विभिन्न जोखिम मानदंडों का इस्तेमाल किया जाता है. प्रस्ताव की गुणवत्ता व मात्रात्मक जानकारी का ऋण जोखिम विश्लेषक द्वारा मूल्यांकन किया जाता है ताकि उधारकर्ता की ऋण रेटिंग का पता लगाया जा सके.
The Bank has implemented internal rating model Risk Assessment Module (RAM), a two - dimensional module for rating viz.; obligor and facility, in line with Basel requirements. Different risk parameters such as financial, business, management and industry are used for different rating models in accordance with the category and characteristics of the borrower. Qualitative and quantitative information of the proposal is evaluated by the credit risk analyst to ascertain the credit rating of the borrower.

एक निश्चित प्रारंभिक राशि से अधिक के प्रस्तावों की रेटिंग बैंक के ऋण जोखिम समूह द्वारा केन्द्रीकृत रूप में की जाती है. आंतरिक ऋण रेटिंग को प्रमाणित करने के लिए उपयुक्त समिति आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है. समितियों में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं. खुदरा उत्पादों के ऋण का अनुमोदन पृथक खुदरा उत्पाद दिशानिर्देश से संचालित होता है तथा प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन स्कोरिंग मॉडल के जरिए किया जाता है.
Proposals over a certain threshold amount are rated centrally by rating analysts of the Bank. Suitable committee based approach is followed to validate the internal credit ratings. The committees comprise of senior officials of the Bank. Approval of credit for retail products are guided by the individual retail product paper guidelines and each proposal is appraised through a scoring model.

उपर्युक्त के अलावा, एक ऋण लेखा परीक्षा प्रक्रिया भी लागू की गई है जिसका उद्देश्य ऋणों की समीक्षा करना है और यह ऋण मूल्यांकन, निगरानी तथा न्यूनीकरण प्रक्रिया की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रभावी साधन है.
In addition to the above, a Credit audit process is in place, which aims at reviewing the loans and acts as an effective tool to evaluate the efficacy of credit assessment, monitoring and mitigation process.

अनर्जक आस्तियों की परिभाषाएं / Definitions of non-performing assets:

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में करता है.
The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with the extant RBI guidelines.

अनर्जक आस्ति (एनपीए) ऐसे ऋण या अग्रिम को कहा जाता है, जहां;
The non performing asset (NPA) is a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/ अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.
  Interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,
- खाता ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी /सीसी) के संबंध में 'अनियमित' रहता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा/ आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हो, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जमा की गई राशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, तो ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.
  The account remains 'out of order' in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC). 'Out of order' means if the account outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

- क्रय किए गए या भुनाए गए बिल 90 से अधिक दिन से 'अतिदेय' हों.
  The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted.
- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय हो और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय हो.
  In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अवमानक आस्ति उसे कहा जाता है, जो 12 माह या इससे कम अवधि से एनपीए हो. किसी आस्ति को संदिग्ध तब माना जाता है जब यह अवमानक आस्ति की श्रेणी में 12 माह या इससे अधिक अवधि से हो. हानि आस्ति उसे कहा जाता है जो बैंक द्वारा अथवा आंतरिक / बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित की गई हो किन्तु जिसे पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया हो.
NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A substandard asset is one, which has remained as NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for more than 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or by the internal / external auditors or the RBI inspection but the amount has not been written off fully.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज/ मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार उचित प्रावधान करता है.
In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes provisions as per provisioning norms prescribed by RBI for depreciation in the value of investments.

क. कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर, निधि आधारित और गैर-निधि आधारित पृथक
a. Total gross credit risk exposures, Fund based and Non-fund based separately.

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total
कुल सकल ऋण एक्सपोजर* Total Gross Credit Exposures*	28,05,697.98	14,02,976.02	42,08,674.00
देशी / Domestic	25,77,254.57	13,80,285.79	39,57,540.36
विदेशी / Overseas	2,28,443.41	22,690.23	2,51,133.64

* अग्रिम, साखपत्र, बैंक गारंटियां, एलईआर, स्वीकृतियां और अनाहरित मंजूरियां शामिल हैं
* includes advances, LCs, BGs, LERs, acceptances & undrawn sanctions

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ख. सकल ऋण एक्सपोजर वाले शीर्ष 20 प्रकार के उद्योगों का वितरण-निधि आधारित व गैर-निधि आधारित
b. Top 20 industry type distribution of Gross credit exposures- fund based and non-fund based

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग Industry	निधि आधारित एक्सपोजर FB Credit Exposure	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर NFB Credit Exposure	कुल ऋण एक्सपोजर Total Credit Exposure
बिजली / Power	2,87,215.50	1,25,377.00	4,12,592.50
सड़क व पुल/ पोर्ट / Roads And Bridges / Ports	1,69,701.69	1,11,908.80	2,81,610.50
आवास ऋण / Housing Loans	2,81,095.85	0.00	2,81,095.85
इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य / Infrastructure Others	1,27,025.61	1,26,740.11	2,53,765.72
तेल एवं गैस / पेट्रोलियम उत्पाद Oil And Gas/Petroleum Products	1,36,283.23	1,04,294.80	2,40,578.03
लौह एवं इस्पात / Iron And Steel	1,26,113.87	1,10,873.04	2,36,986.91
दूरसंचार / Telecom	81,187.15	80,421.63	1,61,608.78
एनबीएफसी / NBFC	1,38,803.06	6,154.66	1,44,957.72
टेक्सटाइल / Textiles	96,676.08	17,676.87	1,14,352.95
सामान्य मशीनरी एवं उपकरण General Machinery And Equipments	31,017.40	67,901.68	98,919.08
निर्माण / Construction	27,368.76	70,136.07	97,504.83
व्यापार / Trading	57,270.31	33,634.41	90,904.71
बैंकिंग / Banking	26,620.70	59,945.07	86,565.76
रसायन और रसायन उत्पाद Chemical And Chemical Products	41,766.70	26,943.28	68,709.98
सीमेंट/ Cement	56,674.89	10,410.65	67,085.54
विद्युत मशीनरी एवं उपकरण Electrical Machinery And Equipments	19,054.43	42,572.87	61,627.30
उर्वरक / Fertilizers	20,129.22	40,004.56	60,133.78
रत्न एवं आभूषण / Gems And Jewellery	35,283.69	21,915.38	57,199.08
चीनी व चीनी उत्पाद / Sugar And Sugar Products	42,374.00	11,918.41	54,292.42
धातु एवं धातु उत्पाद (बुनियादी लौह एवं इस्पात से निर्मित वस्तुओं को छोड़कर) Metals And Metal Products(Other Than Mfg. Of Basic Iron And Steel)	24,533.39	25,144.71	49,678.10
अन्य / Others	9,79,499.80	3,09,002.02	12,88,501.81
कुल / Total	**28,05,695.33**	**14,02,976.02**	**42,08,671.35**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ग. सकल ऋण एक्सपोजरों में 5% से अधिक हिस्सा रखने वाले उद्योग

c. Industries having more than 5% of the Gross credit exposures

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

उद्योग का नाम Industry Name	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल Total	%
बिजली / Power	2,87,215.50	1,25,377.00	4,12,592.50	9.80%
सड़क व पुल / पोर्ट Roads & Bridges / Ports	1,69,701.69	1,11,908.80	2,81,610.50	6.69%
आवास ऋण / Housing Loans	2,81,095.85	0.00	2,81,095.85	6.68%
इंफ्रास्ट्रक्चर अन्य Infrastructure Others	1,27,025.61	1,26,740.11	2,53,765.72	6.03%
तेल एवं गैस / पेट्रोलियम उत्पाद Oil & Gas/Petroleum Products	1,36,283.23	1,04,294.80	2,40,578.03	5.72%
लौह एवं इस्पात /Iron & Steel	1,26,113.87	1,10,873.04	2,36,986.91	5.63%

घ. आस्तियों की बची हुई संविदात्मक परिपक्वता का विश्लेषण

d. Residual contractual maturity breakdown of assets

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	आस्तियां / Assets				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
दिन / Day 1	89,608.50	1,19,674.30	19,516.60	3,462.20	2,32,261.60
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	3,189.40	95,289.90	17,248.90	615.4	1,16,343.60
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	406.1	50.4	22,692.40	2,638.90	25,787.80
15 से 28 दिन 15 to 28 days	1,733.00	2,011.50	18,778.50	1,026.50	23,549.50
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	6,085.90	9,024.10	1,11,764.80	39,222.30	1,66,097.10
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	7,131.70	54,675.20	1,12,306.30	2,251.80	1,76,365.00

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

परिपक्वता अवधि Maturity Buckets	आस्तियां / Assets				
	रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास नकदी एवं जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल आस्तियां एवं अन्य आस्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल आस्तियां Total Assets
6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	10,906.50	55,540.10	1,18,458.20	8,256.00	1,93,160.80
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	10,785.10	1,33,043.40	8,47,725.60	226.2	9,91,780.30
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	3,720.80	1,89,144.30	2,53,887.50	56,048.20	5,02,800.80
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	11,690.52	5,51,178.93	5,61,389.86	7,899.85	11,32,159.16
कुल / Total	**1,45,257.52**	**12,09,632.13**	**20,83,768.66**	**1,21,647.35**	**35,60,305.66**

ङ. 31 मार्च 2015 को अनर्जक आस्तियां
e. Non Performing Assets as on March 31, 2015

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

एनपीए की स्थिति / Position of NPA	
कुल अग्रिम / Gross Advances	21,57,916.80
निवल अग्रिम / Net Advances	20,83,768.70
यथा कुल एनपीए / Gross NPA as on	1,26,849.72
क. अवमानक a. Substandard	30,200.22
ख. संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	27,480.05
ग. संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	55,611.17
घ. संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	10,505.01
ङ. हानि e. Loss	3,053.27
एनपीए प्रावधान / NPA Provision*	66,339.66
निवल एनपीए / Net NPA	59,925.23

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

एनपीए की स्थिति / Position of NPA	
एनपीए अनुपात / NPA Ratios	
सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%) / Gross NPAs to Gross Advances (%)	5.88%
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	2.88%
एनपीए में घट-बढ़ (सकल) / Movement of NPAs (Gross)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	99,601.59
परिवर्धन / Additions	61,008.14
बट्टे खाते डाले गए / Write Offs	16,088.54
कटौतियां / Reductions	17,671.47
अंतिम शेष / Closing Balances	1,26,849.72
एनपीए के लिए प्रावधानों* में घट-बढ़ / Movement of Provisions* for NPAs	
आरंभिक शेष / Opening Balance	49,734.95
जोड़ें : अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Add : Provision made during the period	42,024.79
घटाएं: प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर में अंतरित / Less : Transfer to Countercyclical Prov Buffer	0.000
घटाएं: बट्टे खाते डाली गई राशि / Less : Write offs	16,088.54
घटाएं: अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन / Less : Write Back of excess provision	9,331.54
अंतिम शेष / Closing Balances	66,339.66
(ञ/j) अनर्जक निवेशों की राशि / **Amount of Non-performing Investments**	10,106.27
(ट/k) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि Amount of provisions held for Non-performing Investments	7,327.40
(ठ/l) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	12,484.61
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	3,017.87
बट्टे खाते में डाली गई राशि / अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन Write offs / Write Back of excess provisions	935.90
अंतिम शेष / Closing Balance	14,566.58

*प्रावधान राशि में ₹ 58.48 करोड़ की एनपीए आस्तियों पर एनपीवी हानि शामिल नहीं है.
*Provision amount does not include NPV loss on NPA asset of ₹ 58.48 Crore

तालिका डीएफ-4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन
Table DF-4: Credit Risk: Disclosures for Portfolios Subject to the Standardised approach

बैंक पूंजी गणना के लिए अपने एक्सपोजरों पर जोखिम भार की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट बाह्य रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे देशी ऋण रेटिंग एजेंसियों अर्थात् क्रिसिल, केयर, इक्रा, इंडिया रेटिंग्स (पूर्ववर्ती फिच इंडिया), ब्रिकवर्क व स्मेरा और अंतर्राष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों फिच, मूडीज़ तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स द्वारा प्रदान की गई बाह्य रेटिंग का उपयोग करता है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

The Bank uses the solicited ratings assigned by the external credit rating agencies specified by RBI for calculating risk weights on its exposures for capital calculations. In line with the Basel guidelines, banks are required to use the external ratings assigned by domestic credit rating agencies viz. Crisil, CARE, ICRA, India Ratings (formerly Fitch India), Brickwork and SMERA and international credit rating agencies Fitch, Moody's and Standard & Poor's.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग दिशानिर्देशों द्वारा अनुमत तरीके से तुलन पत्र में तथा तुलन पत्र से इतर अल्पावधि व दीर्घावधि सभी पात्र एक्सपोजरों के लिए किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंगों पर विचार किया जाता है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं तथा रेटिंग एजेंसियों के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.
The ratings assigned, are used for all eligible exposures; on balance sheet & off balance sheet; short term & long term in the manner permitted by the guidelines. Only those ratings which are publicly available and in force as per the monthly bulletin of the rating agencies are considered.

जोखिम भारिता के प्रयोजन हेतु पात्र होने के लिए बैंक की ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि को बाह्य ऋण आकलन हेतु हिसाब में लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोजरों के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाले एक्सपोजरों के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.
To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट एक्सपोजर के लिए रेटिंग प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम भार लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है. जहाँ किसी कॉरपोरेट के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतम रेटिंग लागू की जाती है. 3 प्रमुख जोखिम समूहों में ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं कटौती के पश्चात् बैंकिंग बही में आस्तियों की निवल बकाया राशि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का विश्लेषण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
The process used to assign the ratings to a corporate exposure and apply the appropriate risk weight is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple external ratings are available for a given corporate, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating, where there are three or more ratings is applied. The table given below gives the breakup of net outstanding amounts of assets in Banking Book and Non Fund Based Facilities after Credit Risk Mitigation in 3 major risk buckets as well as those that are deducted:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

जोखिम-भार / Risk Weight	**निवल एक्सपोजर Net Exposure**
100% से कम / Less than 100%	22,38,454.09
100% पर /At 100%	11,55,212.20
100% से अधिक / More than 100%	4,87,248.31
पूंजी से कटौती / Deduction from Capital	311.00
कुल / Total	**38,81,225.60**

तालिका डीएफ-5 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन
Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक आस्ति या अधिकार है. ऋण जोखिमों को कम करने के लिए बैंक अपने निवेशों के प्रति संपार्श्विक प्रतिभूति लेता है. बैंक के पास संपार्श्विक प्रबंध और ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) तकनीकों पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में मानदंड, ऐसे संपार्श्विकों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं दी गई हैं.
A collateral is an asset or a right provided by the borrower to the lender to secure a credit facility. To mitigate credit risk, the Bank obtains collaterals against its exposures. The Bank has a Board approved policy on Collateral Management

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

and Credit Risk Mitigation (CRM) Techniques, which includes norms on acceptable collaterals, procedures & processes to enable classification and valuation of such collaterals.

तुलन पत्रीय नेटिंग उन ऋणों और जमाराशियों तक सीमित है जहां बैंक के पास अन्य निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त विशिष्ट धारणाधिकार सहित वैध रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है. यह नेटिंग उसी प्रतिपक्षकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों पर ऋणों के लिए है जो निर्धारणीय नेटिंग व्यवस्था के अधीन है.

On-Balance sheet netting is confined to loans and deposits, where the Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien in addition to other stipulated conditions. The netting is only undertaken for loans against collaterals of the same counterparty and subject to identifiable netting arrangement.

बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजरों की बचाव व्यवस्था (हेजिंग) करने के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए किसी उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जानेवाली प्रमुख पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमाराशियां, स्वर्ण, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, किसान विकास पत्र, घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां और विभिन्न प्रतिभूतियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एवं मशीनरी, स्टॉक, आदि शामिल हैं. तथापि, खुदरा पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को उत्पाद के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी और ऑटो ऋण के लिए यह वाहन होगी. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां जहाँ बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं जो ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं है.

Both financial as well as non-financial collaterals are used to hedge its credit exposures. Appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Cash, Bank's own deposits, Gold, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra, Insurance policies with a declared surrender value and various Debt securities. The non-financial collaterals include Land & Building, Plant & Machinery, Stock, etc. However, under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage and an automobile is a collateral for auto loan. Most of the eligible financial collaterals, where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques, are in the form of Bank's own FDs which are not subject to credit or market risk.

बैंक अपने एक्सपोजरों को सुरक्षित करने के लिए गारंटियों पर भी विचार करता है. तथापि, यह सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, सुस्पष्ट तथा बिना शर्त होती हैं. संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई), निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

The Bank also considers guarantees for securing its exposures; however only those guarantees which are direct, explicit and unconditional are considered. Sovereigns, Public Sector Entities, Banks, Primary Dealers, Credit Guarantee fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE), Export Credit Guarantee Corporation (ECGC) and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the Basel guidelines.

बैंक अपने सामने आनेवाले ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण (सीआरएम) एक ऐसा साधन है जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति के मूल्य की सीमा तक इसकी पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय, प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण एक्सपोजर को कम करने के लिए तैयार किया गया है. प्रतिपक्षी के ऋण एक्सपोजर को उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य द्वारा समायोजित किया जाता है. मूल्य में अस्थिरता का पता लगाने के लिए मार्जिन लागू किया जाता है जिसमें एक्सपोजरों और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए मुद्रा असंतुलन के कारण होने वाली अस्थिरता भी शामिल है. पात्र गारंटियों के अंतर्गत पूंजी बचत का लाभ उठाने के लिए एक्सपोजर की राशि प्रतिभूत और अप्रतिभूत हिस्सों में बाँट दी जाती है. एक्सपोजर का प्रतिभूत हिस्सा गारंटीकर्ता के जोखिम भार को दर्शाता है, जबकि अप्रतिभूत हिस्सा बाध्यताधारी के जोखिम भार को दर्शाता है, बशर्ते कि बासेल दिशानिर्देशों में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा किया जाए.

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. CRM is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the value of eligible financial collateral. The credit exposure to a counter party is adjusted by the value of

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

eligible financial collaterals after applying appropriate haircuts. The haircuts are applied to account for volatility in value, including those arising from currency mismatch for both the exposure and the collateral. For availing capital savings under eligible guarantees, the amount of exposure is divided into covered and uncovered portions. The covered portion of the exposure attracts the risk weight of guarantor, while the uncovered portion continues to attract the risk weight of the obligor subject to meeting requirements stipulated in the Basel guidelines.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक का एक्सपोजर निम्नानुसार है:
The Bank's exposures where CRM techniques were applied are as follows:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

विवरण / Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित* Non-Fund Based *
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल एक्सपोजर Total Exposures covered by eligible financial collateral	89,594.90	1,37,859.47
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद एक्सपोजर Exposure after taking benefit of eligible collateral	22,200.68	1,01,239.94

* गैर-बाजार संबद्ध / * Non-Market Related

जहां रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सीआरएम तकनीक के रूप में कॉरपोरेट गारंटियों का प्रयोग किया गया वहां यथा दिनांक 31 मार्च 2015 को एक्सपोजर की राशि ₹ 22,921.53 मिलियन थी.
The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹22,921.53 Million as on March 31, 2015.

डीएफ-6 : प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर-मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन
DF-6: Securitization exposure-Disclosure for Standardized Approach

गुणात्मक प्रकटन/ Qualitative Disclosures		
क. a.	**बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :** **The general qualitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank are as follows:**	
	• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. The Bank's objectives in relation to securitization activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitized exposures away from the bank to other entities.	बैंक ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान किसी मानक ऋणों को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. अतः प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) अर्थात् विभिन्न एनबीएफसी / एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश किया है. Bank has not securitized any standard loans during year ended on March 31, 2015. Hence, transfer of credit risk is not applicable. However, in order to supplement the achievement of target in Priority Sector Lending (PSL), the Bank invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

<table>
<tr>
<td></td>
<td>• प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप
The nature of other risks inherent in securitized assets.</td>
<td>लागू नहीं क्योंकि बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है
Not applicable as the Bank has not securitized any standard loans.
पीटीसी में निवेश के मामले में अंतिम उधारकर्ताओं से वसूली गई राशि से चुकौती की जाती है साथ ही, ऋण वृद्धि भी रेटिंग पर आधारित रेटिंग एजेंसी द्वारा तय किए अनुसार उपलब्ध है. यदि समूहों में हानियों का स्तर ऋण वृद्धि से अधिक हो जाता है तो हानियों को बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
In case of investment in PTCs, the repayment is done out of the collections from the ultimate borrowers. Further Credit Enhancement is also available as determined by Rating Agency based on the rating. If the losses in the pool exceed level of credit enhancement, the losses are to be borne by Bank.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से प्रत्येक में बैंक की सहभागिता के विस्तार का संकेत;
The various roles played by the Bank in the securitization process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;</td>
<td>बैंक ने निवेशक तथा ऋण वृद्धि प्रदाता और प्रतिभूतिकरण में चलनिधि सुविधा प्रदाता के रूप में भूमिकाएं अदा की हैं. दिनांक 31 मार्च 2015 तक उपर्युक्त श्रेणी में एक्सपोजर निम्नलिखित हैं:
Bank has played the role of Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitization. The exposures in above category as on March 31, 2015 is as under:
<table>
<tr><th>क्रम
Sr. No</th><th>अदा की गई भूमिका
Role played</th><th>लेन-देनों की संख्या
No. of transactions</th><th>अंतर्निहित राशि
Amount involved</th></tr>
<tr><td>1</td><td>निवेशक (बकाया)
Investor (o/s)</td><td>79</td><td>59,352.78</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा / चलनिधि सुविधा)
Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility/ Liquidity Facility)</td><td>19</td><td>2,486.70</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण.
a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitization exposures.</td>
<td>ऋण नीति के अनुसार बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती तथा समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि का उपयोग, मार्क-टु-मार्केट, प्रतिभूतिकरण के निवेशित पोर्टफोलियो में पूल की समुचित सावधानी और समीक्षा रेटिंग की आवधिक निगरानी करता है.
Bank periodically monitors the collection performance, repayments, and prepayments, utilization of Credit Enhancement, Mark to Market, due diligence and rating review of the pools in invested portfolio of Securitization as per Credit Policy.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के अंतर्गत प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण:
a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitization exposures;</td>
<td>दिनांक 7 मई 2012 एवं 21 अगस्त 2012 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में वर्णित अनुसार प्रतिभूतिकृत कागजात / पीटीसी में निवेशों पर रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का बैंक अनुपालन करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत आस्तियों को अर्जित करता है.
The Bank follows extant RBI guidelines on Investment in securitized papers/ PTCs as outlined in RBI circular dated May 07, 2012 and August 21, 2012. The Bank acquires securitized assets with adequate Credit Enhancement as stipulated by the rating agencies.</td>
</tr>
</table>

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ख b	**प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:** **Summary of the bank's accounting policies for securitization activities, including:**	
	• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण; whether the transactions are treated as sales or financings;	बैंक ने किसी मानक ऋण को प्रतिभूतिकृत नहीं किया है. तथापि इसने एनबीएफसी /एमएफआई से लेनदारियों के अर्जन के माध्यम से निवेश किया है जिसे बैंक की बहियों में निवेश माना जाता है. Bank has not securitized any standard loans. However it has invested through acquisition of receivables from NBFC/MFI which is treated as investments in the books of bank.
	• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त पद्धतियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	प्रतिभूतिकृत कागजात / पीटीसी में बैंक के निवेश को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है और उक्त का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक / एफआईएमएमडीए दिशानिर्देश के अनुसार किया जाता है. The Bank's Investment in securitized papers/ PTCs are categorized under Available For Sale category and valuation of the same has been carried out as per RBI/ FIMMDA guideline.
	• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव; changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	एफआईएमएमडीए के 28 मार्च 2014 के परिपत्र सं. एफआईएमसीआईआर/ 2013-14 /50 के अनुसार मूल्यांकन की पद्धति कहती है, ''एनबीएफसी से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण पोर्टफोलियो के अर्जन के पश्चात् न्यासियों द्वारा जारी पीटीसी में किया गया निवेश करमुक्त प्रतिफल देता है. इसलिए इसे करमुक्त बांडों के रूप में मूल्यांकित किया जाना चाहिए. निवेशकों को प्राप्त करमुक्त प्रतिफल (वार्षिकीकृत) को निवेशक पर लागू कर की दर से समेकित किया जाए और लिखत का मूल्यांकन दिनांक 1.07.2013 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र के पैरा 3.7.1 अनुसार किया जाए. इस स्प्रेड के संबंध में सदस्य अपनी इच्छानुसार / जारी पीटीसी के अनुसार कॉरपोरेट बांड / एनबीएफसी के लागू स्प्रेड का उपयोग कर सकते हैं.'' As per FIMMDA circular no. FIMCIR/2013-14/50 March 28, 2014 the method of valuation says "The investments made in PTCs issued by trusts after acquiring priority sector loan portfolio from NBFCs are giving tax free returns and hence it should be valued as tax free bonds. Tax free yield (annualized) in the hands of the investor is to be grossed up at the rate of tax applicable to the investor and then the instrument is to be valued as per para 3.7.1 of RBI master circular dated 01.07.2013. As regards the spread, the members may use the applicable spread of corporate bond/NBFC as per their own logic/PTC issued"
	• व्यवस्थाओं के लिए तुलन पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognizing liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitized assets.	रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार देयताएं तुलन पत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

ग) c)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का इस्तेमाल किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitization and the types of securitization exposure for which each agency is used.	पीटीसी के अधिग्रहण के माध्यम से बैंक द्वारा अर्जित ऋणों को क्रिसिल, केयर, इक्रा तथा इंडिया रेटिंग्स द्वारा बाह्य रूप से रेटिंग दी जाती है. The loans acquired by Bank through acquisition of PTCs are externally rated by CRISIL, CARE, ICRA, India Ratings.
बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं : **Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Banking book are as follows:**		
घ) d)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि The total amount of exposures securitized by the bank	द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 2,365.40 मिलियन की बैंक गारंटी और पीटीसी लेन-देनों के लिए चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 121.30 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Bank Guarantee of ₹ 2,365.40 Million issued towards Second loss facility and Fund Based Facility of ₹ 121.30 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.
ङ) e)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों के लिए एक्सपोजर प्रकार के अनुसार खंडित वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा निर्धारित हानियाँ For exposures securitized, losses recognized by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य Nil
च) f)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली आस्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitized within a year	शून्य Nil
छ) g)	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई आस्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitization.	लागू नहीं Not Applicable
ज) h)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोजरों की कुल राशि (एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार) और एक्सपोजर प्रकार के अनुसार बिक्री पर नहीं माने गए अभिलाभ या हानि. The total amount of exposures securitized (by exposure type) and unrecognized gain or losses on sale by exposure type.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

झ) i)	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:	
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में प्रतिधारित या खरीदे गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर और on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type and	शून्य Nil
	• एक्सपोजरों के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल नहीं किए गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	द्वितीय हानि सुविधा के प्रति जारी ₹ 2,365.40 मिलियन की बैंक गारंटी और पीटीसी लेन-देनों के लिए चलनिधि सुविधा के रूप में ₹ 121.30 मिलियन की निधि आधारित सुविधा को बैंक के प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर के रूप में माना जाता है. Bank Guarantee of ₹ 2,365.40 Million issued towards Second loss facility and Fund Based Facility of ₹ 121.30 Million as Liquidity Facility for PTC transactions is considered as securitized exposure of Bank.
ञ) j)	• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, एक्सपोजरों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए विभिन्न जोखिम भार दायरों में फिर से विभक्त Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach.	शून्य Nil
	• एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत (आई /ओ) और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण एक्सपोजर. Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

व्यापारिक बही में बैंक की प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नानुसार हैं
Quantitative disclosures with respect to securitization activities of the Bank in the Trading book are as follows:

ट) k)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाजार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं. Aggregate amount of exposures securitized by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	बैंक द्वारा कोई मानक ऋण प्रतिभूतिकृत नहीं किया गया है. No standard loans have been securitized by Bank.
ठ) l)	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of:	
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में प्रतिधारित या खरीदे गए विभक्त प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर; तथा on-balance sheet securitization exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	बैंक ने पास थ्रू सर्टिफिकेट (पीटीसी) के माध्यम से निवेश किया है अर्थात् 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के दौरान विभिन्न एनबीएफसी / एमएफआई द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियां - ₹12,741.30 मिलियन The Bank has invested in Pass Through Certificates (PTC) i.e. Assets securitized by various NBFC/MFI during year ended March 31, 2015- ₹ 12,741.30 Million. 31 मार्च 2015 को बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 59,352.78 मिलियन रहा. The outstanding PTC portfolio as on March 31, 2015 was ₹ 59,352.78 Million.
	• एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. off-balance sheet securitization exposures broken down by exposure type.	शून्य Nil
ड) m)	निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों की कुल राशि : Aggregate amount of securitization exposures retained or purchased separately for:	
	• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर ; तथा securitization exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and	शून्य Nil

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

	• विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर. Securitization exposures subject to the securitization framework for specific risk broken down into different risk weight bands.	31 मार्च 2015 को बकाया पीटीसी पोर्टफोलियो ₹ 59,352.78 मिलियन रहा. The outstanding PTC portfolio as on March 31, 2015 was ₹ 59,352.78 Million.
ढ) n)	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of: • प्रतिभूतिकरण एक्सपोजरों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन. the capital requirements for the securitization exposures, subject to the securitization framework broken down into different risk weight bands.	(₹ मिलियन / ₹ Million)

सुविधा Facility	100% सीसीआर पर राशि Amt. At 100% CCR	रेटिंग Rating	जोखिम भार Risk Weight
बकाया निवेश Investment Outstanding	12,919.95	एएए / AAA	20%
	36,434.12	एए / AA	30%
	4,415.08	ए / A	50%
	5,583.63	बीबीबी / BBB	100%

	• एक्सपोजर जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण. securitization exposures that are deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	शून्य Nil

तालिका डीएफ-7: व्यापार बही में बाजार जोखिम :
Table DF-7: Market Risk in Trading Book

बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि का जोखिम बाजार जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से की जाने वाली ट्रेडिंग कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिमों का सामना करना पड़ता है. बैंक अपनी समग्र जोखिम प्रबंध व्यवस्था के अभिन्न भाग के रूप में इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता की निगरानी व प्रबंधन करता है. यह प्रणाली वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी प्रतिकूल प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयास करती है.

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity prices, exchange rates and commodity prices, as well as volatilities therein. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system. The system takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and strives to minimize any adverse impact on the shareholders' wealth.

बैंक ने आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं जो कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. बदलती कारोबार आवश्यकताओं, आर्थिक परिवेश और प्रक्रिया एवं उत्पाद नवोन्मेषणों के अलावा क़ानूनों में होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

The Bank has formulated an Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk and Derivative Policy and an Investment Policy all of which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound & acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. These policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. These policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and changes in regulations in addition to process and product innovations.

बैंक की आस्ति देयता प्रबंध समिति (आल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं ताकि तुलन पत्र जोखिमों का समन्वित तरीके से प्रबंधन किया जा सके. आल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाजार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) से ब्याज दरों में घट-बढ़ से पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of risks viz. liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis is measured through impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बैंक बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति के माध्यम से ऐसे ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है, जिनका प्रबंधन किया जाना हो. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक स्वरूप, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, आधार बिंदु का कीमत मूल्य (पीवी01), संशोधित अवधि, हानि रोक, ग्रीक लिमिट्स, संभाव्य भावी एक्सपोजर, दबाव परीक्षण आदि शामिल हैं.

The Market Risk and Derivative Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The important risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, PV01, modified duration, Stop loss, Greek limits, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश नीति बाजार उतार-चढ़ाव और रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में जारी विभिन्न परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है. निवेश नीति में लिखतों में निवेश, ऐसे निवेशों का उद्देश्य तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

The Investment policy has been framed keeping in view market dynamics and various circulars issued by RBI in this regard. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक अपने बाजार जोखिम का निम्न व्यापक उद्देश्यों से प्रबंध करता है:

The Bank manages its market risk with the broad objectives of:

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंधन.
   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from investments, foreign exchange and derivatives portfolio;
2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.
   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios;
3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की पर्याप्त तथा उचित रिपोर्टिंग.
   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products;
4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण.
   Effective control over the operation and execution of market related transactions; and
5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन.
   Compliance with regulatory requirements.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

बैंक में अलग से एक बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) / मध्यम कार्यालय है, जोकि ट्रेजरी परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व रिपोर्टिंग के लिए एवं अपवाद, यदि कोई हों, की स्थितियों में उनकी जानकारी देने के लिए उत्तरदायी है. यह समूह बाजार जोखिम को मापने के लिए नीतियों व पद्धतियों में परिवर्तन की भी सिफारिश करता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:
The Bank has an independent Market Risk Group (MRG)/Middle Office which is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations and to highlight exceptions, if any. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are:-

1. प्रत्यायोजन: ट्रेजरी परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति के पास निहित हैं. एमआरजी संबंधित नीतियों में निर्धारित विभिन्न ऋण सीमाओं की निगरानी करता है.
   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors various limits, which have been laid down in the policies.

2. नियंत्रण: सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण आधारित नियंत्रण मौजूद हैं. इन नियंत्रणों का प्रयोग लेखा परीक्षा के लिए भी किया जाता है.
   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose as well.

3. अपवाद संचालन प्रक्रिया: नीतियों के अंतर्गत तय की गई ऋण सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसे अपवाद को न्यूनतम रखने हेतु लागू किया जा रहा है. ऋण सीमाओं के उल्लंघन / अपवाद, यदि कोई हो, का विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यायोजित प्राधिकारी द्वारा अभिपुष्ट किया जाता है.
   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are analyzed and ratified from the delegated authorities.

एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुसार विनियामकों को रिपोर्टें भी प्रस्तुत करता है. बैंक की जोखिम क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं जिनकी आवधिक आधार पर निगरानी की जाती है.
The MRG periodically reports on forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

31 मार्च 2015 को बाजार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन
Aggregation of capital charge for market risks as on March 31, 2015

(राशि मिलियन ₹ / Amt. in ₹ Million)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
क a.	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार Capital Charge on account of specific risk**	**11,274.93**
i)	ब्याज दर संबंधी / On interest rate related	3,415.24
ii)	इक्विटी पर / On equities	7,859.69
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0.00
ख b.	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार Capital charge on account of general market risk**	**11,431.17**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	8,762.80
ii)	इक्विटी पर / On equities	2,215.64

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

	जोखिम श्रेणी Risk Category	पूंजी प्रभार Capital charge
iii)	विदेशी मुद्रा पर / On Foreign exchange	450.00
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0.00
v)	डेरिवेटिव पर (फॉरेक्स विकल्प)/ On derivatives (FX Options)	2.73
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख) **Total Capital Charge on Trading Book (a+b)**	**22,706.10**
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित आस्तियां **Total Risk Weighted Assets on Trading Book**	**2,52,289.96**

तालिका डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम
Table DF-8: Operational Risk

परिचालनगत जोखिम का अर्थ हानि का जोखिम है जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बैंक की कारोबारी गतिविधियों पर बाहरी घटनाओं के प्रभाव के कारण होता है. इसमें विधिक जोखिम तो शामिल हैं, किन्तु रणनीतिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम शामिल नहीं हैं.

Operational Risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people & systems or from external events inherent in Bank's business activities. This includes legal risk, but excludes strategic and reputational risks.

परिचालनगत जोखिम प्रबंधन संरचना / Operational Risk Management Framework

बैंक के पास सुपरिभाषित परिचालनगत जोखिम और कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर और बीसीएम) नीति है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों में निहित परिचालन जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना तथा इन जोखिमों की निगरानी और इन्हें कम करने के लिए क्षमताओं, साधनों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विकास करना है.

The Bank has a well-defined Operational Risk & Business Continuity Management (OR & BCM) Policy. The main objectives of the policy are identification & assessment of operational risks attached to banking operations and developing capabilities, tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालन जोखिम प्रबंध संरचना है और इसने परिचालनगत जोखिम के प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेशक मंडल, बोर्ड की आरएमसी और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) से युक्त एक समर्थकारी संगठनात्मक संरचना की स्थापना की है. परिचालनगत जोखिम प्रबंधन कार्यकलापों पर समीक्षा रिपोर्टें ओआरएमसी एवं बोर्ड की आरएमसी को आवधिक आधार पर प्रस्तुत की जाती हैं.

The Bank has a robust Operational Risk Management Framework and has also established an enabling organizational structure comprising of Board of Directors, RMC of the Board and Operational Risk Management Committee (ORMC) for effective management of Operational Risk. Review reports on Operational Risk management activities are periodically presented to ORMC and RMC of the Board.

उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में अंतरण के लिए बैंक की पहल / Bank's initiative in migrating to AMA

वर्तमान में, बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण कर रहा है. तथापि, उन्नत मापन दृष्टिकोण (एएमए) में आशयित अंतरण के एक हिस्से के रूप में बैंक अपनी परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रणाली व प्रक्रिया में और सुधार करने के लिए समयबद्ध तरीके से सम्मिलित प्रयास कर रहा है. इस संबंध में बैंक के विभिन्न कार्यों से जुड़े परिचालनगत जोखिम के प्रबंधन हेतु एक व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (कोर) का कार्यान्वयन किया गया है. इस उद्देश्य हेतु मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) तथा जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) का उपयोग किया जाता है. परिचालनगत जोखिम मापने हेतु बैंक लॉस

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

डाटा केप्चर (एलडीसी) मॉड्यूल के जरिये परिचालनगत हानि आंकड़ों का नियमित रूप से संग्रहण कर रहा है तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इन हानियों को विभिन्न कारोबारी श्रृंखलाओं एवं इसके प्रकारों के तहत वर्गीकृत कर रहा है.
At present, the Bank follows the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of capital charge for Operational Risk. However, as a part of intended migration to Advanced Measurement Approach (AMA), the Bank is putting concerted efforts to further improve its Operational Risk management system & procedure in a time bound manner. In this regard, Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) has been implemented for management of Operational Risk attached to various functions of the Bank. For this purpose the Key Risk Indicator (KRI) and Risk & Control Self Assessment (RCSA) are used. For measurement of Operational Risk, the Bank is regularly collecting operational loss data across the Bank through Loss Data Capture (LDC) module and categorizes these losses under various business lines and loss types in line with the RBI guidelines.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) के कार्यान्वयन हेतु बैंक के पहल कार्य
Bank's initiatives for implementation of Business Continuity Management (BCM)

मानव जीवन एवं बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा व्यवधान / आपदा के दौरान निर्बाध बैंकिंग सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने अपने विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक सुपरिभाषित बीसीएम व्यवस्था लागू की है, जो विनियामक आवश्यकताओं को भी पूरा करती है.
In order to safeguard the human life & Bank's assets and to ensure uninterrupted banking services during disruption/ disaster, the Bank has put in place a well defined BCM for its various critical functions, which also fulfils regulatory requirements.

बीसीएम में कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) और आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) शामिल इन बीसीएम दस्तावेजों में, अन्य बातों के साथ-साथ, कारोबार व्यवधान / आपदा की स्थिति में तौर-तरीके और परिणामी सुधार रणनीतियाँ, योजनाएँ शामिल हैं. व्यवधान की विभिन्न स्थितियों में इन योजनाओं की आघात सहनीयता का प्रायोगिक अभ्यास, आपदा प्रबंधन अभ्यास और बीसीपी के जरिए निरंतर परीक्षण किया जाता है. एक सशक्त और प्रभावी बीसीएम के जरिए बैंक को अपनी सेवा में निरंतरता और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने में सुविधा होगी. प्रणाली की असफलता के जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने चेन्नई में एक आपदा प्रबंधन (डीआर) साइट तथा बीकेसी के समीप भी डीआर साइट की स्थापना की है. बैंक आपदा प्रबंधन साइट के परीक्षण के लिए आवधिक रूप से डीआर अभ्यास आयोजित करता है. बैंक में विभिन्न मूल तथा सहायता कार्यों के लिए बैंक के भीतर अपनाई गई लागू बीसीएम प्रक्रियाएं बीएस25999 मानक का पालन करती हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइ-डीएबी के विकास के माध्यम से बीसीएम कार्यकलापों के स्वचालन का कार्य प्रगति पर है.
BCM comprises of Business Continuity Plan (BCP) and Disaster Management Plan (DMP). These BCM documents, inter alia, incorporate the modalities, in an event of business disruption/disaster and consequent recovery strategies & plans. The resilience of these plans under different disruption scenarios are tested on an ongoing basis through mock evacuation drills, DR drills and BCP testing exercises. A robust and effective BCM would enable the Bank to provide continuity in service and facilitate customer satisfaction. To mitigate the risk of system failure, the Bank has set up a Disaster Recovery (DR) site at Chennai and near DR site at BKC. The Bank periodically carries out DR drill exercises to test the capabilities of DR site. The BCM processes followed within the Bank for various core & support functions complies with the BS25999 standards. Automation of BCM activities is in progress through the development of application software i-DAB.

तालिका डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)
Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से आशय ब्याज दर में होने वाले प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक के अर्जन तथा आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य में पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात् सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि,) भी ब्याज दर जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक के अर्जन पर तथा इसके साथ ही आस्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में निवल अंतर के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन की मात्रा मुख्यतः परिपक्वता के स्वरूप तथा परिमाण और बैंक की आस्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करती है.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

IRRBB refers to the potential impact on the Bank's earnings and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) it is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its Net Interest Income (Interest Income minus Interest Expenses) as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) प्रणाली तैयार की है, जिसमें रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति, प्रक्रियाएं तथा ऋण सीमा संरचना शामिल हैं. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य जोखिम के स्रोतों की पहचान करना और उपयुक्त पद्धतियों के अनुसार उनका परिमाण मापना है. इसमें समग्र ढांचे के भीतर परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में उचित निधीयन, उधार और तुलन पत्र से परे रणनीतियां भी शामिल हैं. आईआरआरबीबी के लिए बैंक का सहनशीलता स्तर निवल ब्याज आय और इक्विटी में आर्थिक मूल्य पर भावी प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व जोखिम नियंत्रण पहल कार्य के लिए उत्तरदायी है. तुलन पत्र प्रबंधन समूह (बीएसएमजी) एएलएम असंतुलन के बारे में नियमित रूप से आकलन और निगरानी करता है और इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए आल्को को रणनीति की सिफारिश करता है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जनरेशन के लिए पर्याप्त सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognizing the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place an appropriate ALM system which incorporates the Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and to measure their magnitude in terms of appropriate methods. It also includes appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall framework. The Bank's tolerance level for IRRBB is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. The Asset Liability Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and control initiatives for the Bank's interest rate risk management. Balance Sheet Management Group (BSMG) regularly measures and monitors ALM mismatches and recommends strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has also been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर प्रभाव) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयारी करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवाली धारणाओं में मूल बचत बैंक जमाराशियों को ''3 माह से अधिक तथा 6 माह तक'' के समूह में डालना, मूल चालू खाता जमाराशियों को ''1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक'' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबद्ध अग्रिमों को ''3 माह से अधिक तथा 6 माह तक'' के समूह में डालना है, क्योंकि इन आस्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील आस्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है.

Measurement and monitoring of IRRBB are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (re pricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next re pricing date, whichever is earlier. Assumptions made for this report are for bucketing of core saving bank deposits into "over 3 months to 6 months", core current account deposits into "over 1 year to 3 years" and advances linked to BPLR or Base Rate into "over 3 months – 6 months" as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is undertaken based on computation of duration and present value of

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is carried out to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

आल्को ब्याज दर जोखिम एक्सपोजरों की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों की संरचना व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाने का सुझाव / निर्देश देती है, ताकि निर्धारित आंतरिक सीमाओं के भीतर ही आईआरआरबीबी का प्रबंधन किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures and suggests appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control IRRBB within the prescribed internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to RMC of the Board and RBI.

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव
Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता (जोखिम पर अर्जन) (समयावधि : 1 वर्ष) Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (Earning at Risk) (Time Horizon: 1 year)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (Economic Value at Risk)
एनआईआई पर प्रभाव / Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव / Impact on EVE
177	**19,645**

तालिका डीएफ-10: प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटन
Table DF-10: General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

बैंक में किसी आस्ति के संबंध में प्रतिपक्षकार के साथ जोखिम आकलन को सुनिश्चित करने हेतु एक संरचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें निधि आधारित और गैर- निधि आधारित दोनों सुविधाओं को शामिल किया जाता है. ऋण नीति, प्रतिपक्षकार बैंक नीति, बाज़ार जोखिम व डेरिवेटिव नीति, निवेश नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति एवं देश जोखिम नीति के रूप में समुचित नीतिगत संरचना बनाई गई है, जोकि प्रतिपक्षकार ऋण जोखिम (सीसीआर) के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करती है. विनियामक दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक की ऋण नीति के तहत बैंक की पूंजी निधि में एकल उधारकर्ता और किसी समूह के ऋण के संबंध में प्रतिपक्षकार ऋण सहायता सीमाओं की विस्तृत रूपरेखा निर्धारित की गई है. साथ ही, बैंक की निवल मालियत, कुल वचनबद्ध सहायता राशियों (टीसीई), कुल बकाया सहायता राशियों, अग्रिमों आदि के संबंध में भी विभिन्न आंतरिक प्रावधानों को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया गया है. पूंजी बाज़ार खंड पर लागू विनियामक मानदंडों के साथ-साथ खंडगत सीमाओं के रूप में विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित की गई हैं. वर्तमान में बैंक द्वारा सीसीआर पर पूंजी की गणना मानकीकृत दृष्टिकोण के आधार पर तथा बासेल III के अंतर्गत विनियमों के अनुसार की जा रही है.

The Bank follows a structured process to ascertain the credit risk of an asset relationship with a counter-party covering both fund based and non-fund based facilities. Suitable policy frameworks are put in place in the form of Credit policy, Counterparty-Bank Policy, Market Risk & Derivative Policy, Investment Policy, Collateral Management Policy and Country Risk Policy which outline the guiding principles to manage Counterparty Credit Risk (CCR). In line with regulatory guidelines, the Credit policy of the Bank stipulates broad contours of counterparty credit exposure limits in respect of single borrower and borrowings by a group in relation to the Bank's capital fund. In addition, various internal thresholds are stipulated prudentially in relation to Net Worth, Total Committed Exposures (TCE), Total Outstanding exposure, Advances etc. Prudential limits in the form of sectoral limits are also stipulated in addition to applicable regulatory norms on the capital market segment. Currently, the Bank is computing capital on CCR following the standardized approach and adhering to regulations under Basel III.

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

बैंक के व्यापक रेटिंग मॉड्यूल में कई रेटिंग मॉडल शामिल हैं, जो प्रतिपक्षकार की आंतरिक ऋण रेटिंग में सहायता प्रदान करते हैं. लागू शर्तों एवं निबंधनों के साथ ग्राहक की उपयुक्तता और अनुकूलता के संबंध में उत्पाद विशिष्ट दिशानिर्देश भी निर्धारित किए गए हैं. बैंक में चुनिन्दा प्रतिपक्षकार बैंकों के साथ एक ऋण सहायता एनेक्स (सीएसए) व्यवस्था भी है. सीएसए उन शर्तों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिमों को कम करने के लिए डेरिवेटिव प्रतिपक्षों में अंतरित किया जाता है.

The Bank's rating module, encompassing various rating models, supports internal credit rating of counter-party. Product specific guidelines are also defined in terms of customer suitability and appropriateness along with applicable terms and conditions. The Bank also has a Credit Support Annex (CSA) arrangement with select counter-party banks. CSA defines the terms under which collateral is transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from derivative positions.

संपार्श्विक प्रबंधन की प्रक्रिया में गतिविधियों के समग्र कार्य-पहलुओं को इसके स्वीकार करने से लेकर ज़रूरत के समय इसकी विधिक प्रयोज्यता की प्रक्रिया तक को कवर किया जाता है. ऋण रिज़र्व तैयार करने के लिए बैंक कई प्रकार की वैकल्पिक तकनीकों को संपोषित करता है, जिनमें एस्क्रो तंत्र व इस पर प्रभार लगाना, ऋण चुकौती रिज़र्व खाते (डीएसआरए) को सक्रिय करना, बैंक के पास जमाराशियों पर ग्रहणाधिकार लगाना, उच्च मार्जिन की शर्तें लगाना, वैयक्तिक एवं तृतीय पक्ष की गारंटी प्राप्त करना आदि शामिल हैं. बैंक ऋण फिल्टर मानकों और उत्पाद संबंधी दिशा-निर्देशों द्वारा गलत जोखिम सहायता के मामलों को पकड़ता है.

The process of Collateral Management covers the entire gamut of activities right from its acceptability to its legal enforceability at the time of need. In establishing credit reserve, the Bank caters to various alternative techniques including escrow mechanism and charges thereon, activating Debt Service Reserve Account (DSRA), lien mark on deposits with the Bank, stipulating conditions towards higher margin, obtaining personal and third party guarantee etc. Credit filtering standards and product guidelines of the Bank capture the associated wrong way risk exposure.

ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित मूल्य और विभिन्न प्रकार के एक्सपोजरों के जरिए वर्तमान ऋण एक्सपोजरों का विवरणः
The notional value of credit derivative hedges and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure:

(राशि मिलियन ₹ में / Amt. in ₹ Million)

डेरिवेटिव **Derivatives**	**कल्पित** **Notional**	**वर्तमान एक्सपोजर** **Current Exposure**
ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	4,04,232.96	6,959.97
मुद्रा स्वैप / Currency Swaps	1,14,946.92	19,331.17
मुद्रा विकल्प / Currency Options	1,15,975.70	10,088.99
वायदा / Forwards	8,00,859.76	26,408.20

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

तालिका डीएफ-11: पूंजी का संघटन
Table DF-11: Composition of Capital

भाग II: 31 मार्च 2017 से पहले प्रयुक्त होने वाला टेम्पलेट (अर्थात् बासेल III विनियामक समायोजनों के संक्रमण काल के दौरान)
Part II: Template to be used before March 31, 2017 (i.e. during the transition period of Basel III regulatory adjustments)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां **Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves**				
1	सामान्य शेयर पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	1,12,829.09		ए=ए1+बी2 A=A1+B2
2	प्रतिधारित उपार्जन / Retained earnings	8,094.75		बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियाँ) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	1,06,433.71		बी3+बी4+बी5 B3+B4+B5
4	*सीईटी 1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन किए जाने के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी (केवल गैर संयुक्त पूंजी कंपनियों के लिए लागू)* *Directly issued capital subject to phase out from CET1 capital (only applicable to non-joint stock companies)*	-		
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-		
6	**विनिमायक समायोजन पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी** **CET1 capital before regulatory deductions**	2,27,357.55		बी1 / B1
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी: विनिमायक समायोजन **Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments**				
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन / Prudential valuation adjustments	-		
8	साख (संबद्ध कर देयता को घटाकर) Goodwill (net of associated deferred tax liability)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
9	बंधक चुकौती अधिकारों के अलावा अमूर्त आस्तियां (संबद्ध कर देयता को घटाकर) Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	113.44	75.63	एफ / F
10	आस्थगित कर आस्तियां / Deferred tax assets	15,805.31	10,536.87	जी / G
11	नकदी-प्रवाह हेज रिजर्व / Cash flow hedge reserve	-		
12	प्रत्याशित हानियों की तुलना में प्रावधानों में कमी Shortfall of provisions to expected losses	-		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण अभिलाभ / Securitisation gain on sale	-		
14	उचित रूप से मूल्यांकित देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अभिलाभ एवं हानियाँ Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-		
15	सुनिश्चित लाभ पेंशन निधि निवल आस्तियां Defined benefit pension fund net assets	-		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि प्रदत्त पूंजी पहले रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में समंजित न की गई हो) Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	-		
17	सीईटी 1 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in CET1 capital instruments	793.75		
18	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय स्थितियों को घटाकर, जहां बैंक के पास निर्गमित शेयर पूंजी का 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
19	वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी ऐसी सीईटी 1 पूंजी लिखतों में उल्लेखनीय पूंजी निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (10 % की प्रारंभिक राशि से अधिक) Significant capital investments in CET1 capital instruments issued by financial sector entities that are outside the scope of regulatory consolidation (amount above 10% threshold)	-		
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-		
21	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक, संबंधित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से ऊपर की राशि Amount exceeding the 15% threshold	-		
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश of which: significant investments in the common stock of financial sector entities	-		
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार / of which: mortgage servicing rights	-		
25	इसमें से: अस्थाई अंतरों से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-		
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	186.59		
26क/a	इसमें से: असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	-		
26ख/b	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय सहायक संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में निवेश of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	186.59		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
26ग/c	इसमें से: उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
26घ/d	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय of which: Unamortised pension funds expenditures	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	इसमें से : [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] उदाहरणार्थ: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर वसूल न की गई हानियों से प्राप्त राशि (भारतीय संदर्भ में संगत नहीं] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT] For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	-		
	इसमें से: [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
	इसमें से: [समायोजन का प्रकार दर्ज करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
27	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 1 और टीयर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-		
28	**सीईटी 1 पूंजी में की गई कुल विनियामक कटौती** **Total regulatory deductions to CET1 capital**	16,899.09		
29	**सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1)** **Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	2,10,458.46		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	एटी 1 पूंजी : लिखत / AT1 capital: instruments			
30	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों पूंजी के लिए अर्ह प्रत्यक्ष रूप से जारी और संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32) Directly Issued Qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	25,000.00		
31	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (स्थाई गैर-संचयी अधिमान शेयर) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-		
32	इसमें से: लागू लेखांकन मानदंडों (स्थाई ऋण लिखत) के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	25,000.00		
33	*एटी1 पूंजी से चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजी लिखत* *Capital instruments subject to phase out arrangements from AT1 capital*	11,961.60		
34	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह एटी1 में अनुमत राशि) अतिरिक्त टीयर 1 लिखत (और पंक्ति 5 में शामिल न किए गए सीईटी1 लिखत) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-		
35	इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-		
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Additional Tier 1 capital before regulatory deductions**	36,961.60		सी / C

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन **Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments**			
37	स्वयं के अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में निवेश Investments in own Additional Tier 1 instruments	-		
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	471.95		
39	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-		
40	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-		
41क/a	असमेकित सहायक बीमा संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-		
41ख/b	उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में अतिरिक्त टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	10,674.70		
	इसमें से: आस्थगित कर आस्तियां of which: Deferred Tax Assets	10,536.87		
	इसमें से: गैर वित्तीय सहायक कंपनियों में निवेश [मौजूदा समायोजन जिसे टीयर 1 से 50% पर कटौती की जाती है] of which:Investment in Non - Financial subsidiary [existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	62.2		
	इसमें से : साख एवं अन्य अमूर्त आस्तियां of which:Goodwill & Other Intangible Assets	75.63		
42	कटौतियों को कवर करने हेतु अपर्याप्त अतिरिक्त टीयर 2 के कारण अतिरिक्त टीयर 1 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory deductions applied to AT1 capital due to insufficient Tier 2 capital to cover deductions	-		
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में किए गए कुल विनियामक समायोजन** **Total regulatory deductions to AT1 capital**	11,146.64		
44	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (एटी1) / Additional Tier 1 capital (AT1)**	25,814.96		
44क/a	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	25,814.96		
45	**टीयर 1 पूंजी (टीयर 1= सीईटी1+एटी1) (29+44क)** **Tier 1 capital (Tier 1 = CET1 + AT1) (29+44a)**	2,36,273.41		
	टीयर 2 पूंजी: लिखत एवं प्रावधान **Tier 2 capital: instruments and provisions**			
46	प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित अर्ह टीयर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	0		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
47	*टीयर 2 में से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन प्रत्यक्ष रूप से निर्गमित पूंजी लिखत* *Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2*	77,821.10		D
48	सहायक कंपनियों द्वारा निर्गमित तथा अन्य पक्षों द्वारा धारित (समूह टीयर 2 में अनुमत राशि) टीयर 2 लिखत (और पंक्ति 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 एवं एटी 1 लिखत) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-		
49	*इसमें से: चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी लिखत* *of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out*	-		
50	प्रावधान / Provisions	25,908.48		E1+E2
51	**विनियामक समायोजनों के पूर्व टीयर 2 पूंजी** **Tier 2 capital before regulatory deductions**	1,03,729.58		
	टीयर 2 पूंजी: विनियामक कटौतियां **Tier 2 capital: regulatory deductions**			
52	स्वयं के टीयर 2 पूंजी लिखतों में निवेश Investments in own Tier 2 capital instruments	-		
53	टीयर 2 पूंजी लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता Reciprocal cross-holdings in Tier 2 capital instruments	794.03		
54	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों, पात्र अधिविक्रय का निवल, जहां बैंक के पास संस्था के निर्गमित सामान्य शेयर पूंजी की 10% से अधिक धारिता नहीं है (10% की प्रारंभिक राशि से अधिक) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
55	ऐसी बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में उल्लेखनीय निवेश जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हों (पात्र अधिविक्रय का निवल) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-		
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56 क+56 ख) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	62.2		
56क/a	इसमें से: असमेकित सहायक कंपनियों की टीयर 2 पूंजी में निवेश of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	62.2		
56ख/b	उन बहुलांश स्वामित्ववाली वित्तीय संस्थाओं की टीयर 2 पूंजी में कमी जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं हुआ है of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	-		
	बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशियों के संबंध में टीयर 2 के लिए प्रयुक्त विनियामक समायोजन Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	-		
	इसमें से :[समायोजन का प्रकार दर्ज़ करें] जैसे कि मौजूदा समायोजन जिसे टीयर 2 से 50% पर कटौती की जाती है] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	-		
	इसमें से :[समायोजन का प्रकार दर्ज़ करें] of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	-		
57	**टीयर 2 पूंजी के लिए प्रयुक्त विनियामक कटौतियां** **Total regulatory deductions to Tier 2 capital**	856.22		
58	**टीयर 2 पूंजी (टी2) / Tier 2 capital (T2)**	1,02,873.36		
58क/a	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में ली गई टीयर 2 पूंजी** **Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	1,02,873.36		
58ख/b	**टीयर 2 पूंजी के लिए गणना में ली गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी** **Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**			

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि **Amounts subject to Pre-Basel III Treatment**	संदर्भ सं. **Reference No.**
58ग/c	पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टीयर 2 पूंजी (58क + 58 ख) **Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a + 58b)**	1,02,873.36		
59	कुल पूंजी (कुल पूंजी = टीयर1+ टीयर2) **Total capital (Total capital = Tier 1 + Tier 2)**	3,39,146.77		
60	कुल जोखिम भारित आस्तियां **Total risk weighted assets**	28,60,731.27		
60क/a	इसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां **of which: total credit risk weighted assets**	2,473,669.02		
60ख/b	इसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां **of which: total market risk weighted assets**	2,52,289.96		
60ग/c	इसमें से: कुल परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियां **of which: total operational risk weighted assets**	1,34,772.29		
	पूंजीगत अनुपात (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) **Capital ratios (as a percentage of risk weighted assets)**			
61	सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) **Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	7.36%		
62	टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) **Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)**	8.26%		
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) **Total capital (as a percentage of risk weighted assets)**	11.86%		
64	संस्था आधारित बफर आवश्यकता (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता के साथ पूंजी संरक्षण और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकताएं) **Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)**	5.50%		
65	*इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता* *of which: capital conservation buffer requirement*	0.00%		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
66	*इनमें से: बैंक आधारित प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता* *of which: bank specific countercyclical buffer requirement*	-		
67	*इसमें से: जी-एसआईबी या डी-एसआईबी बफर आवश्यकता* *of which: G-SIB or D-SIB buffer requirement*	-		
68	बफर संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टीयर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	1.86%		
	राष्ट्रीय न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) **National minima (if different from Basel 3 minimum)**			
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50%		
70	राष्ट्रीय टीयर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00%		
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न हो) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00%		
	कटौती के लिए प्रारम्भिक सीमा से कम की राशियां (जोखिम भारिता से पहले) **Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)**			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-उल्लेखनीय निवेश Non-significant investments in the capital of other financial entities	2,272.58		
73	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में उल्लेखनीय निवेश Significant investments in the common stock of financial entities	10,251.69		
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबन्धित कर देयता को घटाकर) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.		
75	अस्थाई अंतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (संबन्धित कर देयता को घटाकर) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
	टीयर 2 पूंजी में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू होनेवाली उच्चतम सीमाएं **Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2 capital**			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	25,908.48		
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	लागू नहीं / N.A.		
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टीयर 2 में शामिल किए जाने हेतु पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू होने से पूर्व) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	लागू नहीं / N.A.		
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन टीयर 2 में प्रावधानों के समावेश पर उच्चतम सीमा Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	लागू नहीं / N.A.		
	चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन पूंजीगत लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू) **Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)**			
80	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 पूंजी लिखतों पर वर्तमान सीमा* *Current cap on CET1 capital instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
81	*उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद सीमा से अधिक)* *Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ in million)

	विनियामक समायोजनों की संक्रमण अवधि (अर्थात् 1 अप्रैल 2013 से 31 दिसंबर 2017) के दौरान प्रयुक्त होने वाला बासेल III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट **Basel III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e. from April 1, 2013 to December 31, 2017)**		बासेल III पूर्व मानदंड के अधीन राशि Amounts subject to Pre-Basel III Treatment	संदर्भ सं. Reference No.
82	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा* *Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
83	*सीमा के कारण एटी 1 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)* *Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		
84	*चरणबद्ध रूप से समापन व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर वर्तमान उच्चतम सीमा* *Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements*	लागू नहीं / N.A.		
85	*उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से बाहर रखी गई राशि (मोचन एवं परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक)* *Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)*	लागू नहीं / N.A.		

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या Row No. of the template	विवरण / Particular	(राशि ₹ मिलियन) (₹ In million)
10	संचित हानियों से सम्बद्ध आस्थगित कर आस्तियां Deferred tax assets associated with accumulated losses	
	आस्थगित कर देयताओं को घटाकर आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से सम्बद्ध आस्तियों को छोड़कर) Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	26,342.19
	पंक्ति 10 में दर्शाए अनुसार कुल / Total as indicated in row 10	26,342.19
19	यदि सहायक बीमा कंपनियों में किए गए निवेशों को पूंजी से पूर्ण रूप से घटाया न गया हो और उसे 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत कटौती हेतु पात्र माना गया हो तो उसके परिणामस्वरूप बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	
	इसमें से : सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Additional Tier 1 capital	
	इनमें से: अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी में हुई वृद्धि of which: Increase in Tier 2 capital	
26ख/b	यदि असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में किए गए निवेशों की कटौती न की जाती हो तब जोखिम भारित निम्नानुसार होगा: If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	
	(i) सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी में वृद्धि Increase in Common Equity Tier 1 capital	
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि Increase in risk weighted assets	
44ए/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी (पंक्ति 44 में दर्शाए गए अनुसार अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी और 44 क में दर्शाए अनुसार स्वीकार्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में अंतर) Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	
	इसमें से: आधिक्य अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58 ख के अंतर्गत टीयर 2 पूंजी माना गया है of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	
50	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र प्रावधान / Eligible Provisions included in Tier 2 capital	18,425.65
	टीयर 2 पूंजी में शामिल किए गए पात्र पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	7,482.83
	पंक्ति 50 का योग / Total of row 50	25,908.48

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

58ए/a	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना में न ली गई आधिक्य अतिरिक्त टीयर 2 पूंजी (पंक्ति 58 में दर्शाए गए अनुसार टीयर 2 पूंजी और पंक्ति 58 क में दर्शाए अनुसार टीयर 2 पूंजी के बीच का अंतर) Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	

तालिका डीएफ-12: पूंजीगत संरचना - समाधान अपेक्षाएं
Table DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements

चरण 1./Step 1

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
अ/A	**पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities**		
i	प्रदत पूंजी / Paid-up Capital	16,039.58	16,039.58
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2,27,707.52	2,27,928.41
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	511.96	0
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,44,259.06**	**2,43,967.99**
ii	**जमाराशियां / Deposits**	**25,95,229.53**	**25,96,973.87**
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	3,43,263.37	3,43,263.37
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	22,51,966.16	22,53,710.50
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl.specify)	0	0
iii	**उधाराशियाँ / Borrowings**	**6,18,329.78**	**6,18,329.78**
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से / of which: From RBI	0	0
	इसमें से : बैंकों से / of which: From banks	12,227.00	12,227.00
	इसमें से : अन्य संस्थानों व एजेंसियों से / of which: From other institutions & agencies	0	0
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधाराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds	4,29,067.78	4,29,067.78
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें \ of which: Capital instruments	1,77,035.00	1,77,035.00
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities & provisions**	**1,01,490.59**	**1,00,569.67**
	कुल / Total	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरण के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक क्षेत्र के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख के अनुसार As on reporting date
आ/B	**आस्तियां / Assets**		
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष जमाराशि Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,30,397.61**	**1,30,357.90**
	बैंकों के पास जमा शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balance with banks and money at call and short notice	**14,858.52**	**14,909.89**
ii	**निवेश: / Investments:**	**12,06,092.64**	**12,08,011.79**
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां / of which: Government securities	8,36,153.33	8,34,964.89
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / of which: Other approved securities	0	0
	इसमें से : शेयर / of which: Shares	30,701.80	30,585.43
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	94,906.01	94,761.27
	इसमें से : सहायक संस्थाएं / संयुक्त उद्यम / सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,405.98
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड, इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds, etc.)	2,44,076.50	2,43,294.22
iii	**ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances**	**20,83,768.66**	**20,83,768.66**
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to banks	11,143.10	11,143.10
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम / of which: Loans and advances to customers	20,72,625.56	20,72,625.56
iv	**अचल आस्तियां / Fixed assets**	**30,799.51**	**30,724.13**
v	**अन्य आस्तियां / Other assets**	**93,392.02**	**92,068.94**
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां / of which: Goodwill and intangible assets	0	0
	इसमें से : पात्र आस्थगित कर आस्तियां / of which: Eligible Deferred tax assets	26,342.19	26,342.19
vi	**समेकन पर साख / Goodwill on consolidation**	**0**	**0**
vii	**लाभ-हानि लेखे में नामे शेष / Debit balance in Profit & Loss account**	**0**	**0**
	कुल आस्तियां / Total Assets	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

चरण 2 / Step 2.

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
अ/A	पूंजी एवं देयताएं / Capital & Liabilities			
i	प्रदत पूंजी / Paid-up Capital	16,039.58	16,039.58	
	इसमें से : सीईटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for CET1	16,039.58	16,039.58	ए1 / A1
	इसमें से : एटी1 के लिए पात्र राशि of which: Amount eligible for AT1	0	0	
	रिज़र्व और अधिशेष / Reserves & Surplus	2,27,707.52	2,27,928.41	
	शेयर प्रीमियम / Share Premium	96,789.52	96,789.52	बी2 / B2
	सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve	30,193.47	30,193.47	बी3 / B3
	पूंजी रिज़र्व / Capital Reserve	8,252.11	8,195.17	बी4 / B4
	अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व / Other Disclosed Free Reserve	69,427.88	68,045.07	बी5 / B5
	लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in P&L account	6,416.04	8,094.75	बी6 / B6
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व (विनियामक उद्देश्य हेतु इसमें 55% नहीं जोड़ा गया) Revaluation Reserve (For regulatory purpose it is discounted at 55%)	16,628.50	7,482.83	ई2 / E2
	अल्पसंख्यक हित / Minority Interest	511.96	0	
	कुल पूंजी / Total Capital	**2,44,259.06**	**2,43,967.99**	
ii	**जमाराशियां / Deposits**	**25,95,229.53**	**25,96,973.87**	
	इसमें से : बैंकों से जमाराशियां / of which: Deposits from banks	3,43,263.37	3,43,263.37	
	इसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां / of which: Customer deposits	22,51,966.16	22,53,710.50	
	इसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें) of which: Other deposits (pl. specify)	0	0	
iii	**उधाराशियाँ / Borrowings**	**6,18,329.78**	**6,18,329.78**	
	इसमें से : रिज़र्व बैंक से */ of which: From RBI*	0	0	
	इसमें से : बैंकों से */ of which: From banks*	12,227.00	12,227.00	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
	इसमें से : अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से *of which: From other institutions & agencies*	0	0	
	इसमें से : अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) भारत से बाहर उधाराशियाँ, सामान्य पुनर्वित्त, फ्लेक्सी बांड तथा ओम्नी बांड *of which: Others (pl. specify) Borrowings Outside India, General Refinance, Flexi Bonds and Omni Bonds*	4,29,067.78	4,29,067.78	
	इसमें से : पूंजीगत लिखतें / of which: Capital instruments	1,77,035.00	1,77,035.00	
	- of which			
	क) इसमें से पात्र अतिरिक्त टीयर 1 *a) Eligible Additional Tier 1*	36,961.60	36,961.60	सी / C
	ख) इसमें से पात्र टीयर 2 *b) Eligible Tier 2*	77,821.10	77,821.10	डी / D
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान** **Other liabilities & provisions**	**1,01,490.59**	**1,00,569.67**	
	इसमें से : मानक आस्तियों पर विवेकपूर्ण प्रावधान, अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान जो टीयर 2 पूंजी के अंतर्गत शामिल एनपीए की बिक्री से उत्पन्न हुए . *of which: Prudential provisions against standard assets, provision for unhedged foreign currency exposure and excess provisions which arise on account of sale of NPAs included under Tier 2 Capital*	18,425.65	18,425.65	ई1 / E1
	कुल / Total	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**	
आ/B	**आस्ति / Asset**			
i	**भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष आस्ति** **Cash and balances with Reserve Bank of India**	**1,30,397.61**	**1,30,357.90**	
	बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग और अल्पसूचना पर प्रतिदेय राशि **Balance with banks and money at call and short notice**	**14,858.52**	**14,909.89**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
ii	**निवेश / Investments**	**12,06,092.64**	**12,08,011.79**	
	इसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां of which: Government securities	8,36,153.33	8,34,964.89	
	इसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां of which: Other approved securities	0	0	
	इसमें से : शेयर / of which: Shares	30,701.80	30,585.43	
	इसमें से : डिबेंचर एवं बांड / of which: Debentures & Bonds	94,906.01	94,761.27	
	इसमें से : सहायक संस्थाएं /संयुक्त उद्यम /सहयोगी of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	255.00	4,405.98	
	इसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड इत्यादि) of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	2,44,076.50	2,43,294.22	
iii	**ऋण एवं अग्रिम / Loans and advances**	**20,83,768.66**	**20,83,768.66**	
	इसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to banks	11,143.10	11,143.10	
	इसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम of which: Loans and advances to customers	20,72,625.56	20,72,625.56	
iv	**अचल आस्तियां / Fixed assets**	30,799.51	30,724.13	
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां / out of which intangibles	204.10	189.06	एफ / F
v	**अन्य आस्तियां / Other Assets**	**93,392.02**	**92,068.94**	
	इसमें से : साख एवं अमूर्त आस्तियां of which: Goodwill and intangible assets	0	0	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

		वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र Balance sheet as in financial statements	समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	रिपोर्ट करने की तारीख को As on reporting date	संदर्भ सं. Reference No.
	इसमें से / Out of which:			
	साख / Goodwill	0	0	
	अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर) Other intangibles (excluding MSRs)	0	0	
	इसमें से आस्थगित कर आस्तियां Out of which Eligible Deferred tax assets	26,342.19	26,342.19	जी / G
vi	**समेकन पर साख Goodwill on consolidation**	**0**	**0**	
vii	**लाभ-हानि लेखे में नामे शेष Debit balance in Profit & Loss account**	**0**	**0**	
	कुल आस्तियां / Total Assets	**35,59,308.96**	**35,59,841.31**	

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2015)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2015)

चरण 3: / Step 3:

(₹ मिलियन में / ₹ In Millions)

बासेल III सामान्य प्रकटीकरण टैम्पलेट का उद्धरण (जोड़े गए कॉलम सहित) - सारणी डीएफ-11
(भाग I / भाग II जो भी लागू हो)
Extract of Basel III common disclosure template (with added column) – Table DF-11
(Part I / Part II whichever, applicable)

सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : लिखतें एवं रिज़र्व
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves

		बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियाम क पूंजी के घटक Component of Regulatory capital reported by bank	चरण 2 से समेकन के विनियामक प्रयोजन के अंतर्गत तुलन पत्र की संदर्भ संख्या / अक्षरों पर आधारित स्रोत Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2
1	सीधे जारी किए गए अर्हताप्राप्त सामान्य शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	16,039.58	ए1 / A1
2	प्रतिधारित आय / Retained earnings	8,094.75	बी6 / B6
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य रिज़र्व) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2,03,223.23	बी2+बी3+बी4+बी5 B2+B3+B4+B5
4	सीईटी1 से चरणबद्ध रूप से समापन के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	-	
5	सहायक संस्थाओं द्वारा जारी एवं तृतीय पक्ष द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	2,27,357.55	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन Prudential valuation adjustments	-	
8	साख (संबद्ध कर देयता को घटा कर) Goodwill (net of related tax liability)	-	